न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 84/2019

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. कालूराम पुत्र चन्द्राराम
2. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम
3. घनश्याम पुत्र चन्द्राराम
4. दिनेश पुत्र चन्द्राराम
5. राजूराम पुत्र चन्द्राराम फौत के का.मु.
   5/1 रेखा पत्नी राजूराम
   5/2 वासू पुत्र राजूराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रेखा
   5/3 कृष्णा पुत्री राजूराम
6. लिलादेवी पुत्री चन्द्राराम
7. कौशल्या पुत्री चन्द्राराम
8. सुरजीदेवी पत्नी चन्द्राराम

बनाम

1. चिमनाराम पुत्र घेवरराम
2. किशनलाल पुत्र घेवरराम
3. बगदाराम पुत्र घेवरराम
4. चौथाई पत्नी घेवरराम
5. चोलाराम पुत्र त्रिलोकराम
6. सोहनलाल पुत्र कानाराम
7. चम्पालाल पुत्र कानाराम
8. माणकचन्द पुत्र कानाराम
9. भागीरथ पुत्र कानाराम
10. मिश्रीलाल पुत्र हरदेव जातियान-माली निवासीगण-जैतारण तहसील-जैतारण।
11. भेराराम पुत्र छोगाराम निवासी लक्ष्मणगढ बर तहसील- रायपुर ।
12. अशोक पुत्र मोहनलाल
13. रमेश पुत्र मोहनलाल
14. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल
15. रतनाराम पुत्र दिपाराम
16. रूगाराम पुत्र गोपालजी
17. बद्रीराम पुत्र गोपालजी
18. महेश कुमार पुत्र चम्पालाल
19. प्रकाश पुत्र चम्पालाल
20. विद्यादेवी पत्नी चम्पालाल जातियान-माली निवासीगण-जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली राज.
21. जगदीशचन्द्र पुत्र गणपतलाल जाति-माली निवासी-बलुन्दा तहसील-जैतारण।
22. तहसीलदार,जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली।

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.16.04.2019</u>

उपस्थित :-

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 12/02/2020**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 21 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली में स्थित है जिसके खसरा नंबर 31 रकबा 155 बीघा 14 बिस्वा किस्म चाही सोयम की भूमि आयी हुई है। इस भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 का 1/6 वां हिस्सा है वादीगण की उक्त भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई है जो जैतारण बिलाड़ा जाने वाली सड़क से उतरी तरफ सड़स्क से चिपते हुए 11 बीघा भूमि स्थित है। तथा उसके शेष बची साढे ग्यारह बीघा भूमि चार अलग–अलग टूकड़ों में मौके पर पीछे की तरफ आयी हुई है। उक्त खसरा नंबर 31 की संपूर्ण भूमि मौके पर पीछले लगभग 40 वर्षो से आपसी सहमति से अलग–अलग बंटी हुई है। व इसी माफिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित भूमि के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच लगभग 40 वर्षो पूर्व से बंटी हुई हे। लेकिन भूमि के बंट्वाड़े का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाती होने की वजह से प्रतिवादीगण आये दिन इस भूमि के नाप चौंप सीमा व माठ को लेकर वादीगण से विवाद करते रहे है। तथा वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली एवं तारबंदी भी करना चाहता है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें भी विवाद करते हे। वर्तमान में बर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। व जिसमें भी वादीगण की भूमि मौके पर अवाप्त की जा रही है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण इस भूमि के अवाप्ति की मुहावजा राशि को लेकर विवाद कर रहे है। इस प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादीगण की इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा किया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण इसमें सहमत नहीं हो रहे है। तथा दिनांक 10.04.2019 को वादी राजूराम ने प्रतिवादी चिमनाराम से कथन किया कि इस भूमि के अवाप्ति मुआवजा राशि व नापचोक को लेकर कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंट्वाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन प्रतिवादीगण चिमनाराम व उसके भाई एवं परिवार वाले सहित सभी प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंट्वाड़ा करने से इन्कार हो गए है। एवं उन्होनें वादीगण को ऐलानिया कथन किया कि वे सभी न तो बंट्वाड़ा करेंगे एवं न हीं भविष्य में अवाप्त होने वाली भूमि का तुम्हें मुआवजा लेने देंगे। जबकि राजमार्ग को चौड़ा करने में केवल वादीगण की भूमि अवाप्त हो रही है तथा प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि का कोई भाग अवाप्ति में नहीं गया है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण विवाद कर रहे है। जबकि वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के वैधानिक अधिकारी है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नहीं है। जिस पर वादीगण के पास इस हेतु यह वादपत्र बाबत बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंट्वाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 21 के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर 40 वर्ष से ज्यादा समय पूर्व से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है एवं वादीगण इसी अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह रहे है लेकिन उसमें भी प्रतिवीदगण सहमत नहीं हो रहे है। दिनांक 10.04.2019 को प्रतिवादी चिमनाराम व अन्य प्रतिवादीगण ने इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुए वादीगण को एलानिया कथन किया कि वह मौके पर से वादीगण को पूरा ही बेकाबिज कर देंगे। तथा इस

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

भूमि पर वादीगण की जो सड़क से चिपते हुए भूमि आई हुई है वहां से हटाकर ... भूमि का मुआवजा भी ले लेंगे। जबकि प्रतिवादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि अवाप्त नहीं हुई है। उसके बावजूद भी केवल राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम शामलाती दर्ज होने की वजह से ही प्रतिवादीगण वादीगण को इस सड़क से चिपते हु कब्जे काश्त की भूमि से बेकाबिज करना चाहते है। व अकेले ही मुआवजा राशि भी लेना चाहते है। जिसे प्राप्त करने का प्रतिवादीगण उक्त दृष्कृत्य करने में सफल हो जाते है एवं यदि उक्त प्रतिवादीगण वादीगण को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि यानि राजमार्ग से चिपते हुए भू-भाग से बेकाबिज कर देते है एवं मुआवजा राशि ले लेते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही वादीगण इस विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 10.04.2019 को प्रतिवादी चिमनाराम व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से इस विवादित भूमि की माठ व नाप चौप को लेकर विवाद करने एवं राजमार्ग में अवापत की जाने वाली मुआवजा राशि को उठा लेने बाबत एलानिया कथन करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा इस भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुए वादीगण को इस विवादित भूमि से बेकाबिज करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रतनपुरा जैतारण तहसील– जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05, 10 से 16, 18 से 22 के बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 ओर 17 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सा. मि. है।

प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। जवाबदावे में व्यक्त किया कि उक्त आराजी मौके पर आपस में बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर कोई विवाद वगैराह नहीं है सभी मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज है। जवाब देहन्दा के अलावा शेष पक्षकारान मुआवजा लेने के लिए आपस में विवाद कर रहे है लेकिन पिछले 40 वर्षो से इन्कार कर रहे है मौके के अनुसार एवं नक्शे के अनुसार यदि बंटवाडा किया जाता है तो जवाबदेहन्दा को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 17 ने काउण्टर क्लेम अन्तर्गत आदेश 08 नियम 06ए सीपीसी का पेा किया कि सरहद मौजा रतनुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी/वादीगण एवं अप्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। खसरा नंबर 31 रकबा 155–14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 32 रकबा 21–14 किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 33 रकबा 00–18 बिस्वा किस्म गै.मु. वाड़ा, खसरा नंबर 34 रकबा 01–00 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 35 रकबा 32–07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 36 रकबा 00–11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 37 रकबा 18–17 बिस्वा किस्म चाही सोयम है। उक्त खसरान नंबर भूमि की पर सभी पक्षकारान बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। उक्त खसरे जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति काउण्टर क्लेम के साथ पेश है जिसे काउण्टर क्लेम का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी/प्रतिवादीगण की भूमि मौके पर लम्बे समय से अलग बंटी हुई तथा मौके पर जिस तरह से बंटी हुई है उसमें प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से वर्णित भूमि

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी/प्रतिवादी की भूगि है और मौके पर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर है। तथा इस नजरी नक्शे को काउण्टर क्लेम का आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित काउण्टर क्लेम में जो भूमि दर्शायी गई है। उक्त भूमि का पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड़ा आज से पूर्व 30-40 पहले कर लिया परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी सामलाती दर्ज होने से प्रार्थी/प्रतिवादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी अपनी भूमि में खाद डालने काबिज काश्त करने एवं अन्य कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह काउण्टर क्लेम श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। विवादित भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई है। तथा प्रार्थी/ प्रतिवादी नजरी नक्शे के अनुसार पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त है परन्तु अप्रार्थी के नियम में खोट आ गई एवं अब आये दिन प्राथी/प्रतिवादी को तंग व परेशान कर रहे है। एवं कानूनी बंटवाड़ा भी नहीं करवा रहे है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से यह प्रतिवादी पेश है।

जवाबदावा/प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 06 सोहनलाल, 07 चम्पालाल, 08 माणकचन्द्र व 09 भागीरथी की ओर पेश है कि सरहद मौजा जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 155-14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 32 रकबा 21-14 किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 33 रकबा 00-18 बिस्वा किस्म गै.मु. वाड़ा, खसरा नंबर 34 रकबा 01-00 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 35 रकबा 32-07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 36 रकबा 00-11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 37 रकबा 18-17 बिस्वा किस्म चाही सोयम है। जिसका बंटवाड़ा 40 वर्षो पूर्व उतरदाता प्रतिवादीगण के पिता व दादा के समय से हो रखा है तथा जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार उतरदाता प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। वर्णित कृषि भूमि खातेदारान की सामलाती खातेदारी में दर्ज है परन्तु मौके पर उतरदाता प्रतिवादीगण 40 वर्षो से पिता व दादा के समय से नजरी नक्शानुसार हरें रंग से भु-भाग की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते है तथा खेतों के जानें के लिए पीलें रंग का शामलाती रास्ता है। सामलाती खातेदारी की भूमि होने से खातेदारान को अपनी भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद बीज के लिए बैंक से ऋण लेने , किसान कार्ड बनवाने व अपनी भूमि में अलग से कुंआ खुदवाकर उस पर विघुत कनेक्शन लेने में भी परेशानीहोती है। इसलिए कानूनन उक्त भूमि का बाई बंटवाड़ा हेतु उतरदाता प्रतिवादीगण तैयार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 10.04.2019 को बंटवाड़ा हेतु नहीं कहा व नहीं इन्कार हुये अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 31 रकबा 155-14 बीघा की भूमि में से सड़क हेतु भूमि अवाप्त हुई तब वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने मुआवजा राशि अपने-अपने हिस्सेनुसार प्राप्त की। वादीगण उतरदाता प्रतिवादीगण के प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहे तो सहमत है। वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने को कहा वादीगण का जितना हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है उस पर काबिज होकर काश्त करते है तो उनके हक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे है व नही अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिए वादीगण उतरदाता प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने जो अनुतोष चाहा है जो उतरदाता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार खसरा नंबर 31 रकबा 155-14 बीघा को नक्शें में हरे रंग से दर्शाया है तथा सामलाती रास्तें को पीलें रंग से दर्शाया है उसीनुसार बंटवाड़ा का नक्शें में तरमीम किया जावें। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 06 से 09 तथा 17 ने अपनी-अपनी सहमति प्रकट कर वाद को माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिकी किया जाकर पक्षकारान में बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ की है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति से आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र/प्रतिवाद प्रतिवादी संख्या 06 से 09 एवं 17 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी संवत् 2073-76 का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073-76 में मौजा-जैतारण में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 155-14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 32 रकबा 21-14 किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 33 रकबा 00-18 बिस्वा किस्म गै.मु. वाड़ा, खसरा नंबर 34 रकबा 01-00 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नंबर 35 रकबा 32-07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 36 रकबा 00-11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 37 रकबा 18-17 बिस्वा किस्म चाही सोयम आई हुई है। चूंकि खसरा नंबर खसरा नंबर 33 रकबा 00-18 बिस्वा किस्म गै.मु. वाड़ा, खसरा नंबर 34 रकबा 01-00 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा है इसलिए इनका बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। अतः शेष खसरान है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादगण संख्या 06 से 09 एवं 17 रेकर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। अपनी-अपनी हिस्से अनुसार आराजी का माफिक राजस्व रेकर्ड के बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहते है, लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 से 09 व 17 का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा- रतनपुरा, पटवार हल्का- जैतारण, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 31, 32, 35, 36, 37 की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1128 दिनांक 18/12/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/20/253 दिनांक 24/01/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-रतनपुरा, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 155-14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 32 रकबा 21-14 किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 35 रकबा 32-07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 36 रकबा 00-11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 37 रकबा 18-17 बिस्वा किस्म चाही सोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1.	कालूराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्दाराम लीलादेवी कौशल्या पुत्री	31/14 31/25	3-17 6-03	चाही सो. चाही सोयम

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

	चन्दाराम सूरजीदेवी पत्नी चन्दाराम रेखा पत्नी राजुराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा, कृष्णा पुत्री राजुराम कौम–माली सा. जैतारण खातेदार	32/4	0-19	चाही सोयम
		32/7	0-04	चाही सोयम
	योग	**04**	**11-03**	**चाही सोयम**
2.	कालुराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्दाराम लीलादेवी कौशल्या पुत्रीयां चन्दाराम सूरजीदेवी पत्नी चन्द्राराम रेखा पत्नी राजुराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा कृष्णा पुत्री राजुराम 11/15 मिश्रीलाल पुत्र हरदेवराम 1/15 कौम–माली निवासी जैतारण भेराराम पुत्र छोगाराम कौम–माली निवासी–लक्ष्मणगढ रायपुर 1/15 जगदीशचन्द पुत्र गणपतलाल माली सा. बलुन्दा 2/15 खातेदार	31/3	4-07	चाही सोयम
		31/11	2-03	चाही सो.
	योग	**02**	**6-10**	**चाही सोयम**
3.	सोहनलाल चम्पालाल माणकचन्द भागीरथ पि. कानाराम कौम माली निवासी जैतारण रहन भागीरथ चम्पालाल माणकचन्द पि. कानाराम का हिस्सा MGBGB जैतारण	31/6	5-03	चाही सो.
		31/9	2-06	चाही सो.
		31/13	2-07	चाही सो.
		31/16	3-17	चाही सो.
		31/17	2-03	चाही सो.
		31/18	2-02	चाही सो.
		31/19	2-10	चाही सो.
		31/22	3-06	चाही सो.
		31/29	1-16	चाही सो.
		32/3	1-02	चाही सो.
		32/6	0-05	चाही सो.
		32/12	0-05	चाही सो.
		35/14	1-04	चाही सो.
		35/3	0-15	चाही सो.
		35/7	1-17	चा.सो.
		35/12	0-12	चाही सो.
		36	0-08	चाही सो.
		37/3	2-19	चाही सो.
		37/5	0-08	चाही सो.
	योग	**19**	**35-05**	**चाही सो.**
4.	बद्रीलाल पुत्र गोपालराम कौम माली सा. जैतारण खातेदार	31/4	4-07	चाही सो.
		31/10	2-00	चाही सो.
		31/12	0-19	चाही सो.
		31/24	3-17	चाही सो.
		31/26	5-10	चाही सो.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

		32/5	1-01	चाही सो.
		32/2	4-19	चाही सो.
		35/2	0-05	चाही सो.
		35/5	1-15	चाही सो.
		35/6	3-13	चाही सो.
		35/10	0-05	चाही सो.
		37	6-14	चाही सो.
	योग	**12**	**35-05**	**चाही सो.**
5.	चिमनाराम किशनलाल बगदाराम पि. घेवरराम चौथाई पत्नी घेवरराम महेशकुमार प्रकाश पि. चम्पालाल विधादेवी पत्नी चम्पालाल 1/12 चौलाराम पुत्र तिलोकराम 1/12 कालूराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्द्राराम रेखा पत्नी राजूराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा कृष्णा पुत्री राजुराम 1/12 अशोक रमेश श्यामलाल पि. मोहनलाल 1/12 सोहनलाल चम्पालाल माणकचन्द भागीरथ पिता कानाराम 1/6 रतनाराम पुत्र दीपाराम 1/6 बद्रीलाल पुत्र गोपालराम 1/6 रुगाराम पुत्र गोपालराम 1/6 कौम-माली साकिन- जैतारण खातेदार रहन भागीरथ चम्पालाल माणकचन्द पि. काना का हिस्सा MGBGB जैतारण।	31-15	3-18	गै.मु रास्ता
		31/20	3-07	गै.मु रास्ता
		32/10	0-10	गै.मु रास्ता
		32/8	1-05	गै.मु रास्ता
		35/9	1-02	गै.मु रास्ता
		31/28	0-02	
	योग	**06**	**11-04**	**गै.मु रास्ता**
6.	चिमनाराम किशनलाल बगदाराम पि. घेवरराम चौथाई पत्नी घेवरराम महेशकुमार प्रकाश पि. चम्पालाल विधादेवी पत्नी चम्पालाल 1/7 अशोक रमेश श्यामलाल पि. मोहनलाल 1/7 चौलाराम पुत्र तिलोकराम 1/7 रुगाराम पुत्र गोपालराम 2/7 रतनाराम पुत्र दीपाराम 2/7 कौम माली निवासी जैतारण खातेदार।	31	49-05	चाही सो.
		31/5	5-05	चाही सो.
		31/7	10-18	चाही सो.
		31/8	8-10	चाही सो.
		31/21	3-06	चाही सो.
		31/23	10-04	चाही सो.
		31/27	0-10	चाही सो.
		32	6-08	चाही सो.
		32/9	1-11	चाही सो.
		32/11	0-14	चाही सो.
		32/13	0-08	चाही सो.
		35	4-04	चाही सो.
		35/15	5-01	चाही सो.
		35/4	7-01	चाही सो.
		35/8	1-16	चाही सो.
		35/11	0-10	चाही सो.
		35/13	0-06	चाही सो.
		36/1	0-03	चाही सो.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

		37/2	4-19	चाही सो.
		37/4	2-08	चाही सो.
	योग	20	123-07	चाही सो.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंट्वाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

आज दिनॉक 12/02/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
र्इजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

वादीगण :–

1. कालूराम पुत्र चन्द्राराम
2. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम
3. घनश्याम पुत्र चन्द्राराम
4. दिनेश पुत्र चन्द्राराम
5. राजूराम पुत्र चन्द्राराम फौत के का.मु.
   5/1 रेखा पत्नी राजूराम
   5/2 वासू पुत्र राजूराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रेखा
   5/3 कृष्णा पुत्री राजूराम
6. लिलादेवी पुत्री चन्द्राराम
7. कौशल्या पुत्री चन्द्राराम
8. सुरजीदेवी पत्नी चन्द्राराम

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चिमनाराम पुत्र घेवरराम
2. किशनलाल पुत्र घेवरराम
3. बगदाराम पुत्र घेवरराम
4. चौथाई पत्नी घेवरराम
5. चोलाराम पुत्र त्रिलोकराम
6. सोहनलाल पुत्र कानाराम
7. चम्पालाल पुत्र कानाराम
8. माणकचन्द पुत्र कानाराम
9. भागीरथ पुत्र कानाराम
10. मिश्रीलाल पुत्र हरदेव जातियान=माली निवासीगण–जैतारण तहसील– जैतारण।
11. भेराराम पुत्र छोगाराम निवासी लक्ष्मणगढ बर तहसील– रायपुर ।
12. अशोक पुत्र मोहनलाल
13. रमेश पुत्र मोहनलाल
14. श्यामलाल पुत्र मोहनलाल
15. रतनाराम पुत्र दिपाराम
16. रूगाराम पुत्र गोपालजी
17. बद्रीराम पुत्र गोपालजी
18. महेश कुमार पुत्र चम्पालाल
19. प्रकाश पुत्र चम्पालाल
20. विद्यादेवी पत्नी चम्पालाल जातियान–माली निवासीगण–जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.
21. जगदीशचन्द्र पुत्र गणपतलाल जाति–माली निवासी–बलुन्दा तहसील–जैतारण।
22. तहसीलदार,जैतारण तहसील– जैतारण जिला–पाली।

मु०न० ःरा०वा० स०ः 84/2019

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, रामस्वरूप चौधरी . अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व मौजा–रतनपुरा तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 155–14 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 32 रकबा 21–14 किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 35 रकबा 32–07 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 36 रकबा 00–11 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

...र 37 रकबा 18–17 बिस्वा किस्म चाही सोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात्
...जन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1.	कालूराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्दाराम लीलादेवी कौशल्या पुत्री चन्दाराम सूरजीदेवी पत्नी चन्दाराम रेखा पत्नी राजुराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा, कृष्णा पुत्री राजुराम कौम–माली सा. जैतारण खातेदार	31/14	3-17	चाही सो.
		31/25	6-03	चाही सोयम
		32/4	0-19	चाही सोयम
		32/7	0-04	चाही सोयम
	योग	04	11-03	चाही सोयम
2.	कालुराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्दाराम लीलादेवी कौशल्या पुत्रीयां चन्दाराम सूरजीदेवी पत्नी चन्द्राराम रेखा पत्नी राजुराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा कृष्णा पुत्री राजुराम 11/15 मिश्रीलाल पुत्र हरदेवराम 1/15 कौम–माली निवासी जैतारण भेराराम पुत्र छोगाराम कौम–माली निवासी–लक्ष्मणगढ रायपुर 1/15 जगदीशचन्द पुत्र गणपतलाल माली सा. बलुन्दा 2/15 खातेदार	31/3	4-07	चाही सोयम
		31/11	2-03	चाही सो.
	योग	02	6-10	चाही सोयम
3.	सोहनलाल चम्पालाल माणकचन्द भागीरथ पि. कानाराम कौम माली निवासी जैतारण रहन भागीरथ चम्पालाल माणकचन्द पि. कानाराम का हिस्सा MGBGB जैतारण	31/6	5-03	चाही सो.
		31/9	2-06	चाही सो.
		31/13	2-07	चाही सो.
		31/16	3-17	चाही सो.
		31/17	2-03	चाही सो.
		31/18	2-02	चाही सो.
		31/19	2-10	चाही सो.
		31/22	3-06	चाही सो.
		31/29	1-16	चाही सो.
		32/3	1-02	चाही सो.
		32/6	0-05	चाही सो.
		32/12	0-05	चाही सो.
		35/14	1-04	चाही सो.
		35/3	0-15	चाही सो.
		35/7	1-17	चा.सो.
		35/12	0-12	चाही सो.
		36	0-08	चाही सो.
		37/3	2-19	चाही सो.
		37/5	0-08	चाही सो.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

	योग	19	35-05	चाही सो.
4.	बद्रीलाल पुत्र गोपालराम कौम माली सा. जैतारण खातेदार	31/4	4-07	चाही सो.
		31/10	2-00	चाही सो.
		31/12	0-19	चाही सो.
		31/24	3-17	चाही सो.
		31/26	5-10	चाही सो.
		32/5	1-01	चाही सो.
		32/2	4-19	चाही सो.
		35/2	0-05	चाही सो.
		35/5	1-15	चाही सो.
		35/6	3-13	चाही सो.
		35/10	0-05	चाही सो.
		37	6-14	चाही सो.
	योग	12	35-05	चाही सो.
5.	चिमनाराम किशनलाल बगदाराम पि. घेवरराम चौथाई पत्नी घेवरराम महेशकुमार प्रकाश पि. चम्पालाल विधादेवी पत्नी चम्पालाल 1/12 चौलाराम पुत्र तिलोकराम 1/12 कालूराम ओमप्रकाश धनश्याम दिनेश पि. चन्द्राराम रेखा पत्नी राजूराम वासु पुत्र राजुराम ना.बा. वलिया माता रेखा कृष्णा पुत्री राजुराम 1/12 अशोक रमेश श्यामलाल पि. मोहनलाल 1/12 सोहनलाल चम्पालाल माणकचन्द भागीरथ पिता कानाराम 1/6 रतनाराम पुत्र दीपाराम 1/6 बद्रीलाल पुत्र गोपालराम 1/6 रूगाराम पुत्र गोपालराम 1/6 कौम-माली साकिन- जैतारण खातेदार रहन भागीरथ चम्पालाल माणकचन्द पि. काना का हिस्सा MGBGB जैतारण।	31-15	3-18	गै.मु रास्ता
		31/20	3-07	गै.मु रास्ता
		32/10	0-10	गै.मु रास्ता
		32/8	1-05	गै.मु रास्ता
		35/9	1-02	गै.मु रास्ता
		31/28	0-02	
	योग	06	11-04	गै.मु रास्ता
6.	चिमनाराम किशनलाल बगदाराम पि. घेवरराम चौथाई पत्नी घेवरराम महेशकुमार प्रकाश पि. चम्पालाल विधादेवी पत्नी चम्पालाल 1/7 अशोक रमेश श्यामलाल पि. मोहनलाल 1/7 चौलाराम पुत्र तिलोकराम 1/7 रूगाराम पुत्र गोपालराम 2/7 रतनाराम पुत्र दीपाराम 2/7 कौम माली निवासी जैतारण खातेदार।	31	49-05	चाही सो.
		31/5	5-05	चाही सो.
		31/7	10-18	चाही सो.
		31/8	8-10	चाही सो.
		31/21	3-06	चाही सो.
		31/23	10-04	चाही सो.
		31/27	0-10	चाही सो.
		32	6-08	चाही सो.
		32/9	1-11	चाही सो.
		32/11	0-14	चाही सो.
		32/13	0-08	चाही सो.
		35	4-04	चाही सो.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

		35/15	5-01	चाही सो.
		35/4	7-01	चाही सो.
		35/8	1-16	चाही सो.
		35/11	0-10	चाही सो.
		35/13	0-06	चाही सो.
		36/1	0-03	चाही सो.
		37/2	4-19	चाही सो.
		37/4	2-08	चाही सो.
	योग	20	123-07	चाही सो.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/02/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06–00	स्टाम्प वकालतनामा	03–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	=	महनताना वकील	
महनताना वकील	05–00	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	=	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	=	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	012–00	मिजानः–	03–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 17:24:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: